रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML/2005.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 25 अप्रैल, 2005/5 वैशाख, 1927

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय उपायुक्त, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

कार्यालय आदेश

कुल्लू, 24 मार्च, 2005

संख्या पी0 सी0 एच0 (कु0) ग्रा0 पं0 कोट-2004-686-92.—उप-प्रधान ग्राम पंचायत कोट सहित ग्राम वासियों द्वारा श्रीमती चन्द्रकान्ता, प्रधान, ग्राम पंचायत कोट के विरुद्ध एक शिकायत पत्र निदेशक, पंचायती राज विभाग को प्रेषित किया गया है। शिकायत पत्र में उद्धृत आरोपों की जांच उप-नियन्त्रक (अक्षेकण), पंचायती राज विभाग, हि0 प्र0 द्वारा दिनांक 11, 12-12-03 को मुख्यालत ग्राम पंचायत कोट में की गई। उक्त जांच से सम्बन्धित जांच रिपोर्ट में उल्लिखित निष्कर्षों के आधार पर आरोप प्राथमिक दृष्टि में सही पाए गए हैं। उक्त तथ्य के दृष्टिगत प्रधान ग्राम पंचायत कोट को इस कार्यालय द्वारा प्रेषित पत्र संख्या पी0 सी0 एच0 (कु0) ग्रा0 पं0 कोट-2004-1031-34 दिनांक 3, जून 2004 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। कारण बताओ नोटिस के प्रत्योत्तर में उक्त पंचायत पदाधिकारी द्वारा जो स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया, उसकी जांच पंचायत द्वारा संधारित अभिलेख तथा अन्य सम्बन्धित प्रलेखों के प्रकाश में की गई तथा स्पष्टीकरण के अस्पष्ट, अप्रयाप्त तथा आधारहीन पाया गया परिणामस्वरूप निर्णय लिया गया कि पूर्व इसके कि आरोपित प्रधान के विरुद्ध हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम की धारा 146 के अन्तर्गत निदेशक, हि0 प्र0 पंचायती राज विभाग से आगामी

कार्रवाई की सिफारिश की जाए, उक्त पंचायत पदाधिकारी के विरुद्ध आरोपों की नियमित जांच करवाई जाए। अतः इस कार्यालय के आदेश संख्या पी0 सी0 एच0 (कु0) ग्रा0 पं0 कोट-2004-191-94 दिनांक 3 फरवरी, 2005 के अन्तर्गत आरोपित उक्त पंचायत पदाधिकारी को निलम्बित करते हुए आरोप पत्र जारी किया गया है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0 (5) 72/2003-21257-283 दिनांक 29-10-2003 के अन्तर्गत महामहिम राज्यपाल, हि0 प्र0 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 146 (1) की अनुपालना में श्रीमती चन्द्रकान्ता प्रधान, ग्राम पंचायत कोट, विकास खण्ड निरमण्ड, जिला कुल्लू के विरुद्ध उपरोक्त वर्णित आरोपों की नियमित जांच हेतु उप- मण्डल अधिकारी (ना0), आनी को जांच अधिकारी तथा श्री देवी सिंह, पंचायत निरीक्षक, विकास खण्ड निरमण्ड को अभिलेख प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त करता हूं। जांच अधिकारी को यह भी निर्देश दिए जाते हैं कि वे इस प्रकरण के सम्बन्ध में अपनी जांच पर आधारित जांच रिपोर्ट इस आदेश की प्राप्ति के एक मास के भीतर-2 अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करेंगे। अभिलेख प्रस्तुतकर्ता अधिकारी अभिलेख प्रस्तुत करने के साथ-2 सरकार का पक्ष भी प्रस्तुत करेंगे। श्रीमती चन्द्रकान्ता, प्रधान, ग्राम पंचायत कोट, विकास खण्ड निरमण्ड को भी निर्देश दिए जाते हैं कि उक्त आरोपों के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु जांच अधिकारी द्वारा सूचित करने पर जांच अवसर पर व्यक्तिगत रूप में उपस्थित रहें।

कुल्लू, 12 अप्रैल, 2005

संख्या : पी0 सी0 एच0 (कु0) जी0 पी0 लोट/2000-832-38.—गांववासी गांव पानवी, डावर व ध्वांश द्वारा प्रधान, ग्राम पंचायत लोट श्री तारा चन्द के विरुद्ध महा निदेशक (प्रवर्तन) को भेजी गई शिकायत निदेशक पंचायती राज विभाग, हि0 प्र0, शिमला को प्राप्त हुई जिसमें उद्धृत आरोपों की जांच उप-नियन्त्रक (अ॰ ॰ ॰), पंचायती राज विभाग द्वारा दिनांक 14-12-2003 को ग्राम पंचायत लोट के कार्यालय में की गई। जांच में उल्लिखित निष्कर्षों के आधार पर आरोप प्राथमिक दृष्टि में सही पाए गए हैं। जांच रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत, प्रधान ग्राम पंचायत लोट, श्री तारा चन्द को इस कार्यालय के पत्र संख्या : पी0 सी0 एच0 (कु0) जी0 पी0 लोट/2000-1027-30 दिनांक 3 जून, 2004 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस के प्रत्योत्तर में सम्बन्धित प्रधान द्वारा जो स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया, वह अस्पष्ट, अपर्याप्त तथा आधारहीन पाया गया। परिणामस्वरूप निर्णय लिया गया कि पूर्व इसके कि आयोपित प्रधान के विरुद्ध हि0 प्र0, पंचायती राज अधिनियम की धारा 146 के अन्तर्गत निदेशक, पंचायती राज विभाग से आगामी कार्रवाई की सिफारिश की जाए, उक्त पंचायत पदाधिकारी के विरुद्ध आरोपों की नियमित जांच करवाई जाए। अतः इस कार्यालय के आदेश सं0 पी0 सी0 एच0 (कु0) जी0 पी0 लोट0/2000-396-400 दिनांक 3 मार्च, 2005 के अन्तर्गत श्री तारा चन्द, आरोपित प्रधान, ग्राम पंचायत लोट को निलम्बित करते हुए आरोप पत्र जारी किया गया है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या : पी0 सी0 एच0 एच0 ए0 (5) 72/2003-21257-283 दिनांक 29-10-2003 के अन्तर्गत महामहिम राज्यपाल, हि0 प्र0 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 146 (1) की अनुपालना में श्री तारा चन्द प्रधान, ग्राम पंचायत लोट, विकास खण्ड निरमण्ड, जिला कुल्लू के विरुद्ध आरोप पत्र में वर्णित आरोपों की नियमित जांच हेतु उप मण्डल अधिकारी (ना0), आनी श्री एस0 एल0 सैनी को जांच अधिकारी तथा श्री देवी सिंह, पंचायत निरीक्षक, विकास खण्ड निरमण्ड को अभिलेख प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त करता हूं। जांच अधिकारी को यह भी निर्देश दिए जाते हैं कि वे इस प्रकरण के सम्बन्ध में अपनी जांच रिपोर्ट इस आदेश की प्राप्ति के एक मास के भीतर-2 अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करेंगे। अभिलेख प्रस्तुतकर्ता अधिकारी अभिलेख प्रस्तुत करने के साथ-2 सरकार का पक्ष भी प्रस्तुत करेंगे। श्री तारा चन्द, प्रधान, ग्राम पंचायत लोट को भी निर्देश दिए जाते हैं कि उक्त आरोपों के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु जांच अधिकारी द्वारा सूचित करने पर जांच अवसर पर व्यक्तिगत रूप में उपस्थित रहें।

आर0 डी0 नजीम,
उपायुक्त, जिला कुल्लू।

कार्यालय उपायुक्त, जिला सिरमौर, नाहन, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

नाहन-173001, 2 अप्रैल, 2005

संख्या पी0 सी0 एन0-एस0 एम0 आर0 (9) 22/97-II-1174-78.—यह कि खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड राजगढ़, जिला सिरमौर द्वारा अवगत करवाया गया है कि ग्राम पंचायत करगाणू, विकास खण्ड राजगढ़, जिला सिरमौर के प्रधान पद पदच्यूत के कारण तथा उप-प्रधान पद निलम्बन के रिक्त हुआ है, अब ग्राम पंचायत में प्रधान पद का कार्य सम्भालने हेतु पंचायत की बैठक में निर्णय लिया गया कि श्री विनोद कुमार पुत्र श्री शिव राज, पंचायत सदस्य वार्ड नं0-2, मतियाना (अनुसूचित जाति) को प्रस्ताव सं0-01 दिनांक 18-2-2005 द्वारा निर्वाचित किया जाता है।

अतः श्री विनोद कुमार, सदस्य, वार्ड नं0-2 (मतियाना), ग्राम पंचायत करगाणू, विकास खण्ड राजगढ़, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश को आगामी आदेशों तक हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-131 (5) के अन्तर्गत प्रधान पद की समस्त शक्तियों का प्रयोग करने हेतु आदेश दिए जाते हैं।

हस्ताक्षरित/-
उपायुक्त,
जिला सिरमौर, नाहन (हि0 प्र0)।

कार्यालय उपायुक्त सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

सोलन, 31 मार्च, 2005

संख्या सोलन-3-92 (पंच)/92-III-1179-84.—खण्ड विकास अधिकारी, सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश ने अपने पत्र संख्या सोलन-(1) 15/99 (पंच) धरोट-1146, दिनांक 3-3-2005 द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया है कि उनके विकास खण्ड के श्री ख्याली राम, प्रधान, ग्राम पंचायत धरोट का देहान्त 22-2-2005 को हो गया है। जिसके फलस्वरूप उनका पद रिक्त हो गया है।

अतः मैं, राजेश कुमार (भा0 प्र0 से0), उपायुक्त सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131(2) व (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपरोक्त वर्णित स्थान को उपरोक्त दर्शाई गई तिथि से रिक्त घोषित करता हूं।

राजेश कुमार,
उपायुक्त,
सोलन, जिला सोलन (हि0 प्र0)।

कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी, सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

सोलन, 31 मार्च, 2005

संख्या एस0 एल0 एन0-3-76 (पंच)/2003-III-1185-91.—यह कि श्री शंकर लाल पुत्र श्री लेख राम, ग्राम पंचायत भियुंखरी, सदस्य वार्ड नं0-5, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश ने अपने पद से दो से अधिक तीसरी सन्तान होने के कारण अपना त्याग-पत्र खण्ड विकास अधिकारी, नालागढ़ के माध्यम से दिनांक 22-1-2005 को प्रस्तुत किया गया है । जिसकी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अपनी टिप्पणी द्वारा पुष्टि की गई है ।

अतः मैं, सनपूर सिंह आजाद, जिला पंचायत अधिकारी, सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों का प्रयोग करते हुये जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 130 (1) तथा पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1977 के नियम 135 में प्राप्त है, श्री शंकर लाल, सदस्य, ग्राम पंचायत भियुंखरी के वार्ड नं0-5 का त्याग-पत्र उपरोक्त दर्शाई गई तिथि से स्वीकार करता हूं तथा पद को रिक्त घोषित करता हूं ।

सनपूर सिंह,
जिला पंचायत अधिकारी,
सोलन, जिला सोलन (हि0 प्र0)।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित